

[illegible]



कार्यालय वसुली अधीकरण-I, दिल्ली

ऋण वसुली अधीकरण-1, दिल्ली

चौडी मंजिल, जीवन नगर भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विन्री घोषणा

टी.आर.सी. संख्या 340/2022

पंजाब नेशनल बैंक (ई-ओबीसी) बनाम असीम ग्लोबल लिमिटेड एवं अन्य

बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आवक अधिनियम,

1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत विन्री की घोषणा

(सीडी 1) असीम ग्लोबल लिमिटेड, ऑफिस: 5476, साउथ वरली हम्फ्रिल सिंह, सरदार बाजार, दिल्ली - 110006

(सीडी 2) इरा रस्तोगी, पत्नी गंधर्व रस्तोगी, निवासी: 33, ग्राउंड फ्लोर, एनआरआई कॉम्प्लेक्स, मंडाकिनी, ग्रेटर कैलाश - वर, नई दिल्ली - 110019

(सीडी 3) तनुज रस्तोगी, पुत्र गंधर्व रस्तोगी, निवासी: 33, ग्राउंड फ्लोर, एनआरआई कॉम्प्लेक्स, मंडाकिनी, ग्रेटर कैलाश - वर, नई दिल्ली - 110019

(सीडी 4) बालाजर डांडा को प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस: 2195, बागीची मुख्यालय, सरदार बाजार, दिल्ली - 110006

निम्नालिखित संपत्ति माननीय पीआरसी अधिकारी, डीआरटी-क्वार्टर द्वारा जप्त वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार असीम ग्लोबल लिमिटेड एवं अन्य से रुपये 60,13,769.00/- (पचास लाख तेरह हजार सात सौ अठारह तथा दस पैसे) तथा देय व्याज और लातन (पहले से वसुली गई राशि, यदि कोई हो, घटाकर) की वसुली के लिए 29.07.2026 को को सार्वजनिक ई-नीलामी विन्री द्वारा बेची जाएगी।।

लॉट की सं	वेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, जिसमें सह-स्वामियों के नाम भी शामिल हों-निवेशक का नव, जब संपत्ति किसी डिफॉल्टर और किसी अन्य व्यक्ति की संयुक्त स्वामित्व में हो	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणधारण का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	मूल्यांकन में, यदि कोई हो, तो प्रमाणपत्र कर्जदार द्वारा दिया गया मूल्यांकन भी बताया जाएगा	संपत्ति के संबंध में, यदि कोई दावे प्रस्तुत किए गए हैं, और इसको प्रकृति तथा मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिसके नीचे वेची जाएगी	आरक्षित मूल्य का 10% या राउण्ड ऑफ़ ईम्पडी
1.	1. क्रम सं. (ए) पर उल्लिखित सम्पत्ति, यानी पूरा ग्राउंड फ्लोर (5459, 5460 से 5461, 5472 से 5475 और 5476 का आधा हिस्सा), जिसका क्षेत्रफल 130 वर्ग गज है। यह सम्पत्ति बदरी हम्फ्रिल सिंह, सरदार थाना रोड, सरदार बाजार, दिल्ली - 110006 में घने प्लांट नंबर 5-साउथ, वार्ड नंबर XIV पर स्थित है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रु. 3.23 करोड़	रु. 32.30 लाख
	2. क्रम संख्या (जी) पर उल्लिखित सम्पत्ति, यानी एमएफएल नंबर 1943 का ग्राउंड, पहला, दूसरा और तीसरा फ्लोर, जिसका क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज है। यह सम्पत्ति बागीची खुनाय, सरदार बाजार, दिल्ली-110006 में है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रु. 82.00 लाख	रु. 8.20 लाख

- नीलामी/बोली केवल ई-नीलामी वेबसाइट यानी <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होगी।
- इच्छुक बोलोदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही भागीदारी दर्ज करानी चाहिए और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इसे केवल वेब पत्रा किया जा सकता है जब अधिष्ठित धरोहर राशि नीचे निर्धारित मोड में जमा की जाती है।
- ईम्पडी 28/07/2026 को शाम 05:00 बजे तक वॉलेंट बैंक एंटर ऑफिशन नेटवर्क (BAANKNET) <https://baanknet.com> पर जमा की जाएगी, उसके बाद जमा की गई ईम्पडी को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त के अलावा, कंपनी के मामलों में पैन कार्ड की प्रति, पत्रा प्रमाण और पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बॉर्डर प्रस्ताव की प्रतियां या कंपनी के प्रमाणपत्र/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाली किसी अन्य दस्तावेज की प्रति और ऐसी जमा राशि की रसीद/कार्डर फाइल 29/07/2026 को शाम 05:00 बजे तक सॉफ्टकोर एप्लोड करके ई-नीलामी वेबसाइट के माध्यम से उक्त सेवा प्रदाता के पास पहुंचानी चाहिए और ईम्पडी जमा रसीदों के साथ हाईड कॉपी भी वसुली अधिकारी-क डीआरटी-क दिल्ली के कार्यालय में 29/07/2026 तक पहुंचानी चाहिए। यह भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं को संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।
- संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं:

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एंटर ऑफिशन नेटवर्क (BAANKNET)
सम्पर्क व्यक्ति	श्री उदय जाधव (बैंकनेट के प्राधिकृत अधिकारी)
हेल्पलाइन नंबर	+91-9820878255
हेल्पलाइन ई-मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	सुभाष नन्द जाटव, मोबाइल नं. 9121866087, ई-मेल : cs8075@pnbbank.in

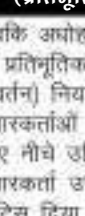
- संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले विन्री के विस्तृत नियम और शर्तों और प्रक्रिया के लिए वेबसाइट <https://baanknet.com> पर जाएं।
- संभावित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
- संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के उक्त लॉट में बेची जाएगी।
- बोलीदाता को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रु. 1,00,000/- के मुद्रणों में प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
- “संपत्ति” जहाँ है जैसी है” के आधार पर बेची जाएगी और ई-नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
- उत्पन्नित बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेंट बैंक एंटर ऑफिशन नेटवर्क (<https://baanknet.com>) में पहले से भुगतान की गई ईम्पडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसुली अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली खाला टी.आर.सी. क्रमांक 340/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
- सफल बोलीदाता/नीलामी को संघ की विन्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले विन्री प्रतिकूल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वें दिन विन्री नहीं आया अथवा नहीं, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसुली अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली खाला टी.आर.सी. क्रमांक 340/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करे। उपरोक्त के अलावा, ऋण को रजिस्ट्रार, डीआरटी-क दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से कुल विन्री प्रतिकूल राशि पर 1% पारडेज शुल्क (या रा. 10) भी जमा करना होगा। पारडेज की भीसे के लिए तैयार किया गया डीडी सीधे वसुली अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।
- यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई राशि (विन्री के खर्चों को काटने के बाद) को—यदि अव्यहाराश्री अधिकारी उचित समझे—सर्वनाश खाते में जन्त किया जा सकता है; और भुगतान में चूक करने वाला क्रेता, उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। विन्री की गई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद, उस संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि को भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो उसकी अंतिम बोली की और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची जाती है, उसके बीच के अंतर या जमा की गई राशि के रूप में सामने आए।
- नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है:--

सभी साध्यम से नोटिस की खर्बिस	29.06.2026	
संपत्ति का निरीक्षण	13.07.2026	दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पॉर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ भीतिक बोलियाँ पत्रा करने की अंतिम तिथि	28.07.2026	05:00 बजे अग. तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	30.07.2026	12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे अग.

- वसुली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियाँ को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को ख्याति या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
- इस अधिकरण को मुहर के साथ, हरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक 19.05.2026 को जारी किया गया।

रविन्दर कुमार तामर
वसुली अधीकरण-1, दिल्ली
ऋण वसुली अधीकरण-1, दिल्ली





हीरो होस्टिंग्स फाइनेंस लिमिटेड

सर्कल प्लॉट नं० बुरली रोड - I-6, सेक्टर-4, मेरठ, उत्तर प्रदेश-20130
पंजीकृत कार्यालय : D8, वायव्यवर्ती एअर, सहाय्यक, ब्लॉक विलो, नई दिल्ली – 110057
फोन : 011 42627000, टेली ग्राहक सेवा: +900 212 8000,
ईमेल customer_care@herohosting.com वेबसाइट:
www.herohostingfinance.in सीएसडीएन : U65192DL2016PLC30148

कच्चा-सूचना (अचल संपत्ति पर के लिए)

(प्रतिभुक्ति निवेश प्रस्ताव विवरण, 2002 के नियम 8(1) के साथ परिचित संशोधित IV के अनुसार)

एवाकेड को अग्रिमदाताकी हीरो होस्टिंग्स फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, निर्देशित संस्थाओं में प्रतिनिधित्वकरण और पुनर्वित्तियोग तथा प्रतिगुणिष्ठ निवेश प्रदान करने के लिए, 2002 के तद्वत और प्रतिगुणिष्ठ निवेश [प्रारम्भिक] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ परिचित धारा 13(1) के तहत प्राप्त बाध्यियों का प्रयोग करते हुए एवाकेडकोओं को नोटिस में अधिविशेषता राशि की उक्त योग्यता की तारीख से 60 दिन के भीतर सूचना देने के लिए नीचे उल्लिखित एक यांना नोटिस जारी किया।

एवाकेडका यह साक्षात् जानकारी है कि पिछले चारों वर्ष पूर्व, एवाकेडका विशेष रूप से एवाकेडकोओं को नोटिस देना के अलावाकाले और निवेशकों को नोटिस देना जमा है कि अधिविशेषता ने उक्त अधिविशेषता धारा 13(4) के साथ परिचित जमा निवेशों के निवेश 8 के प्रस्ताव शर्तिकाओं का प्रयोग करते हुए, यहाँ निर्दिष्टा नियमित-विशेषता, समयावधि का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से एवाकेडको और सामान्य रूप में जनता को उक्त साहित्य के खाद्य शरीर में करने की क्षमता है और जातीय है जातीय है जातीय के साथ कोभी नहीं जुड़ेनये नीची दो बार राशि के साथ नीचे उल्लिखित निवेशों में इंडाऊकाम ब्याज, शुल्क, लागत आदि होते हैं। एवाकेडका फाइनेंस लिमिटेड के प्रसार के अधीन होगा।

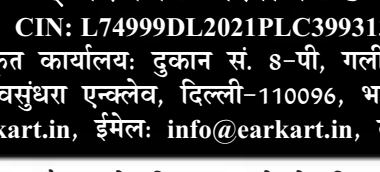
(क) प्रतिभुक्ति संस्थानों को भुनाने के लिए उपस्थापित कर के संबंध में, अधिविशेषता की घाटा 13 की उप-भा 18) के आधारानी के लिए एवाकेडको का घाटा आकस्मिक किया जाता है।

उत्पाद खाता संख्या:	आधारकारीकर्ता (बीबी) बाण्णी कृष्णाकराव (बीबी) / बाण्णी प्रतिभुक्ति (बीबी) का नाम	घाटा सूचना की तिथि 8 भाग सूचना के अनुसार राशि	कच्चा- नोटिस (संचालन) - तिथि
HHFNSPHIO250606 62546, HHFNSPPI25000662550	मेघमदन मल्लापरानी और राजी रेवली	19-नवंबर-2025 र 19,78,759/- (19-नवंबर-2025 तक पैसा)	22.06.2026 (सीक्रेट)

प्रतिगुणिष्ठ निवेशकर्ताओं/अचल संपत्ति पर का विवरण: निर्दिष्ट यांना निवेश, लाभमें की तरफ बाँटें और की गुनिष्ठ (कि. घरा.)/देखें के अधिविशेषता को, जिसका शेयरका 35 वर्ग रज (घानी 2927 वर्ग मिटर) है (कुल 150 वर्ग गज) होगा। ये क्षेत्र, निर्मित संस्था वाला स्थिर नगर 8-वीं का हिस्सा (सूचना नंबर 665 में) नीचे गोवावा की पुनर्नी लौटें और आवासीय के भीतर, उपाय नाम, नई दिल्ली-110004। इसकी सीक्रेट देखा प्रकार है: पूर्ण सड़क, उचार खेत/ दूरदर्शन के लिए, परिवहन सुक्री/अल्प मात्रा, सीक्रेट सुरक्षी की सुरक्षी।

दिनांक:- 25/ 08/ 2026,
हरता - अविश्रुत अधिकारी

स्थान:- एएसपी, नई दिल्ली
कुछे हीरो होस्टिंग्स फाइनेंस लिमिटेड



इयकार्ट लिमिटेड

CIN: L74999DD2021PLC3399313

पंजीकृत कार्यालय, हुक्का सं. 8-पी, शाही सं. 6,
सुसुधा एन्क्लेव, दिल्ली-110096, भारत

वेबसाइट: www.earkart.in, ईमेल: info@earkart.in, दूरभाष: 0120-4102857

5वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 5वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"/"बैठक") बुद्धवार, 15 जुलाई 2026 को दोपहर 03:00 बजे (आईएसटी में) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसीओ") / अन्य दूरस्थ-अर्थ माध्यमों ("ऑनोलाइन") के माध्यम से आयोजित होगी। "एजीएम" के लिए निर्धारित की गई है, ताकि उन व्यवसायीओं को कंपनी का निवेदन या उनके जो एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित किए गए, जिन्हें निवेश सम्बंध में विवरित कर दिया जाएगा।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एसएमई") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, और इस संबंध में एसएमई द्वारा जारी अन्य पिछले परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एसएमई परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ परिचित, तथा भारतीय प्रतिभुक्ति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, और इस संबंध में सेबी द्वारा जारी अन्य पिछले परिपत्रों (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनियाँ को किसी एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भीतिक उपयोगिता के बिना वीसी या ऑनोलाइन के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ऑनोलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एसएमई परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, कंपनी निम्नलिखित वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ सूचना इंटरडिजिटल रूप से सभी सदस्यों को भेजने की जिम्मेदारि आई है। वार्षिक रिपोर्ट में / स्कैन/डायन फार्मासियाल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("स्कान/डायन"), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट ("आर्टीफ़ी") / डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम ("डीपी") के पास पंजीकृत है। यह कंपनी को वेबसाइट www.earkart.in, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

संस्था (स्कान/डायन थायफार्म और प्रकटीकरण आयाचक/आयु) विनियम, 2015, समय-समय पर यथा संगोषित ("सेबी लिस्टिंग विनियम"), के विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में, उन शेयरधारकों को एक भीतिक संचार सेवा जारणा विनियम ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, जिसमें वैलिड कर और कंपनी को वेबसाइट का सटीक पाथ शामिल होगा नहीं से वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी अपडेट/पंजीकृत नहीं है और जो समय-समय पर कंपनी से सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य सार संचार प्रकाश करना चाहते हैं, वे विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित, फॉर्म ISR-1 कंपनी को cs@earkart.in पर जमा करेंगे अपने ईमेल आईडी अपडेट/पंजीकृत करा सकते हैं। हालाँकि, डोमेन मोड में रखे गए शेयरों के लिए, सदस्यों को अपने संबन्धित डीपी को लिखना होगा।

भीतिक रूप से शेयर रखने वाली सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे फॉर्म ISR-1 और ISR-2 के माध्यम से अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन और बैंक खाते का विवरण अपडेट/पंजीकृत करें; कंपनियाँ (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) में दिए गए आवश्यक के अनुसार फॉर्म SH-13 के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करें या फॉर्म ISR-3 के माध्यम से नामांकन न देने का विकल्प चुनें और फॉर्म SH-14 के माध्यम से नामांकन में बदलाव करें। इन फॉर्मों को सहायक दस्तावेज़ों के साथ स्कान/डायन के पास उरके जाने चाहिए। स्कान/डायन फार्मासियाल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153 ए, पहली मंजोर, ओखला इंडियन स्टेशन एरिया, दिल्ली पर जमा करना होगा। या फॉर्म कंपनी को वेबसाइट www.earkart.in पर उपलब्ध है। हालाँकि, डोमेन मोड में रखे गए शेयरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबन्धित डीपी को लिखें।

सदस्य वैलिड वीसी/ऑनोलाइन सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं - ई-वोटिंग और वीसी/ऑनोलाइन के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या लाइव वेबकास्ट देखने को विस्तृत प्रक्रिया डीपी मोड, भीतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए सूचना के "नोट्स" में प्रदान की जाती है। जिनोंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यान से देखें, विश्लेषण से एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के तरीके को।

एजीएम में शामिल होने के लिए और अन्य विवरण www.earkart.in पर भी देखे जा सकते हैं।

इयकार्ट लिमिटेड के लिए
 हरता,-
 (प्रीति श्रीवासकर)
 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
 सरस्वत्या सं. 3A13615

दिनांक: 24 जून 2026
सं. 1098

get user ID and participating in E-auction. It can be procured only on the requisite earnest money is deposited in prescribed mode below.

3. EMD shall be deposited latest by till **05:00 PM on 13/07/2026 in Wallet Bank Auction Network (BAANKNET)** <https://baanknet.com> EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the e-auction.

4. In addition to above, the copy of PAN Card, Address Proof and Identity Proof, E-mail ID, Mobile Number, in case of the company, copy of board resolution passed by the Board of Directors of the company or any other document confirming representation/attorney of the company and the Receipt/Counter File of such deposit should reach to the said service provider through e-auction website by uploading softcopies on or before till 05:00 PM on 13/07/2026 and also hard copies alongwith EMDs deposited receipts should reach at the **Office of Recovery Officer-I, DRT-I, Delhi by 13/07/2026**. It is also held that earnest money of unsuccessful bidders shall be returned back in the respective accounts of such bidders through the same mode of payment.

5. Prospective bidder may avail online training from service provider:

Name of Auction Agency	Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
Helpline Email Address	Support.BAANKNET@psbolliance.com ; B291220220
Bank officer	RAJEEV RANJAN (M) 8584874809 ; ranjan.ra@icicibank.com

6. Prospective bidders are advised to visit website <https://baanknet.com> for detailed terms & conditions and procedure of sale before submitting their bids.

7. The property shall not be sold below the reserve price.

8. The property shall be sold in 01 lot, with **Reserve Price as mentioned above lot**.

9. The bidder shall improve offer in multiples of **Rs. 5,000/-** during entire auction period.

10. The property shall be sold "**AS IS WHERE BASIS**" and shall be subject to other terms and conditions as published on the official website of the e-auction agency.

11. The highest bidder shall have to deposit **25% of his final bid amount** after adjustment of EMD already paid in **Wallet Bank Asset Auction Network (BAANKNET)** <https://baanknet.com> by immediate next bank working day by **4 00 P.M.** through Demand Draft/Pay Order favouring **Recovery Officer, DRT-I, Delhi A/C. T. R. C. No. 24/2022**

12. The successful bidder/auction purchaser shall deposit the balance **75% of sale consideration amount** on or before **15th day** from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday, then on immediate first bank working day through Demand Draft/Pay Order favouring **Recovery Officer, DRT-I, Delhi A/C. T. R. C. No. 24/2022**. In addition to the above, the purchaser shall also deposit poundage fee @1% on total sale consideration money (plus Rs.10) through DD in favour of The Registrar, DRT-I, Delhi. The DD prepared towards poundage's fees shall be submitted directly with the office of Recovery Officer, DRT-I, Delhi.

13. In case of default of payment within the prescribed period, the deposit, after deduction the expenses of the sale, may if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government Account and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or the amount deposited. The property shall be resold forthwith, after the issue of fresh proclamation of sale. Further the purchaser shall also be liable to make good of any shortfall or difference between his final bid amount and the price for which it is subsequently sold.

14. Schedule of auction is as under:-

Service of notice by all modes	12/06/2026	
Inspection of property	26/06/2026	From 1:00 pm to 4.00pm
Last date of receiving both physical bids alongwith proof of earnest money and uploading documents of auction agency portal	13/07/2026	Up to 05.00pm
Date and Time of E-Auction:	15/07/2026	Between 12.00 Noon to 1.00 pm (with auto extension clause of 5 minutes, till auction completes)

15. The Recovery Officer has the absolute right to accept or reject any bid or bids or to postpone or cancel the e-auction without assigning any reasons.

Issued under my hand and seal of this Tribunal on this 12/05/2026.

RAVINDER KUMAR TOMAR
RECOVERY OFFICER-I, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - I, DELHI

 आरबीएल बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001. क्षेत्रीय कार्यालय : प्रथम तल, बिल्डिंग नं. 1, ओखला ईस्ट/युएल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020		ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत)					
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आसितयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम ("सरफेसी अधिनियम") के तहत बैंक के पास प्रभाषित अवल आसित की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदारों/जमानतियों (कर्जदार/सह-कर्जदारों/जमानतियों की मृत्यु के मामले में विधिक उत्तराधिकारियों सहित) को सूचना दी जाती है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत लेनदार/बैंक") के पास चयक/आसित नीचे वर्णित अवल सम्पत्तियाँ (सामूहिक रूप से "सम्पत्ति" के रूप में संदर्भित), जिसका कच्चा नियमों के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा कर लिया गया है, बैंक के बकाया देयताओं और नियमों के नियम 8 एवं 9 के तहत यहाँ नीचे वर्णित के अनुसार व्याज सहित नीचे ई-नीलामी अनुसूची के अनुसार संविदा आमन्त्रण के माध्यम से "जहाँ है जैसा है"; "जो कुछ भी है यही है" तथा "उपचार रहित आधार" पर बिक्री की जायेगी।							
पार्टियों, बकाया देयताओं तथा सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण							
क्र. सं.	कर्जदार तथा जमानती (यों) के नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि/समय	दस्तावेजों सहित संविदा प्राप्त की अंतिम तिथि	अधिकृत प्राधिकारी का नाम/पद/नं./ ई-मेल आईडी
			सरफेसी अधिनियम के तहत मांग तथा कच्चा सूचना की तिथि	इएमडी			
				संविदा वृद्धि राशि			
1.	नंदलाल विश्वकर्मा (उर्फ नंद लाल विश्वकर्मा) प्लॉट नंबर 7, राजबाग कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 इसके अलावा: एफ-28, गणेश पुरी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001. इसके अलावा: विश्वकर्मा फर्नीचर, सी-258, दुकान नंबर 3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201005	तीसरी मंजिल (सामने की बाईं ओर की इकाई) कवर्ड एरिया 48 वर्ग मीटर, बिना छत के अधिकार के, प्रितीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर सी-344-डी पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2, हदबस्त गांव पासुंडा, परराना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद- 201005 में स्थित है। निम्नानुसार सीमाबद्ध: पूर्व- प्लॉट नंबर 344-सी पश्चिम- प्लॉट नंबर 2/प्लॉट नंबर 344-सी उत्तर- अन्य प्लॉट/अन्य संपत्ति दक्षिण- सड़क 40 फीट चौड़ी	रु. 13,59,165.50/- (रुपये तेरह लाख उनसठ हजार एक सौ पैंसठ तथा पचास पैसे मात्र) तिथि 15-04-2025 तक मांग सूचना दिनांक 15-04-2025 के विरुद्ध भौतिक कच्चे की तिथि- 08-04-2026	आरक्षित मूल्य : रु. 15,45,261/- (रुपये पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार दो सौ इकसठ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 1,54,256/- (रुपये एक लाख चौवन हजार दो सौ छपन मात्र) बोली वृद्धि राशि : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	10.07.2026 को 04:00 बजे अपन 09.07.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. तक	प्राधिकृत अधिकारी : श्रीमती मोनिका गुप्ता सम्पर्क : 9910570226 ई-मेल आईडी : monica.Gupta@rblbank.com अप्रण वोहरा सम्पर्क : 9015369699 ई-मेल : Arpan.Vohra I @rblbank.com	
2.	श्रवण सी पुत्र जनकदाश शर्मा प्लॉट नंबर 7, राजबाग कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 इसके अलावा: ई-309, डी डी ए फ्लैट्स, नई सीमापुरी, झिलालपुर, पृथ्वी दिल्ली, दिल्ली-110095						
3.	राजा बाला पत्नी श्रवण शर्मा प्लॉट नंबर 7, राजबाग कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 इसके अलावा: एफ-28, गणेश पुरी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001।						
नियम एवं शर्तें :							
(1) ई-नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले https://www.bankauctions.com तथा https://www.rblbank.com/pdf-pages/news की वेबसाइट पर उपलब्ध नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ लें।							
(2) बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और खुद को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।							
(3) इच्छुक बोलीदाता अपना ईएमपी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टल: https://www.bankauctions.com (युजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराकर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यह राशि आरबीएल बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी: - नीलामी प्रोसीडर कलेक्शन जीएल, खाता संख्या 2599001000139998 (आई एफएससी कोड RATN0000100) या डिमांड ड्रफ्ट के माध्यम से 09.07.2026 को शाम 11:00 बजे पूर्वा. तक।							
(4) इच्छुक बोलीदाता संकेत सी। डीडिया प्राइवेट लिमिटेड, संकेत नंबर: 7291981124/25/26 से ई-नीलामी पर सहभागिता/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क व्यक्ति श्री भाविक पांडेया मोबाइल नंबर: 8866682937, ई-मेल-आईडी: gujarat@clindia.com और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, वे श्रीमती मोनिका गुप्ता, अधिकृत प्राधिकारी (मोबाइल नं. 9910570226, ई-मेल: monica.Gupta@rblbank.com) तथा अप्रण वोहरा सम्पर्क : 9015369699, ई-मेल आईडी : Arpan.Vohra I @rblbank.com से संपर्क कर सकते हैं।							
(5) बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, और/या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।							
(6) समस्त बोलीदाता को कच्चीएस अर्थात स्ट्याम शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि, लागू कानून के अनुसार और अन्य ज्ञात/अज्ञात वैधानिक/सरकारी/श्रम बकाया/कर बकाया आदि का भुगतान खरीद प्रतिफल के अतिरिक्त का देय शुल्क/प्रभार वहन करना होगा।							
(7) समस्त बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के अगले दिन पहले से जमा ईएमपी को समायोजित करने के बाद बोली राशि का 25% और बिक्री के 30वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विधिक पर सहायक व्यक्त को गैर हो, बोली मूल्य का शेष 75% जमा							